

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 1 (12)नविवि।।/2012

जयपुर, दिनांक 26.07.2019


:आज्ञा:

नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मुख्य अभियंता पद हेतु पदोन्नति वर्ष 2019-2020 के रिक्त पदों पर राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम 1954 के तहत नगरीय विकास विभाग के सेवा के अभियंताओं पर नगरीय विकास विभाग की आज्ञा संख्या प. 1(1)नविवि/।।/81 दिनांक 28.2.1997 द्वारा प्रभावी किए गए हैं, के नियम 24-ए के अन्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक बैठक सूचना दिनांक 19.7.2019 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति चयन समिति की बैठक दिनांक 23.07.2019 को आयोजित बैठक की अभिशंषा के अनुसार श्री अशोक कुमार चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता को मुख्य अभियंता के पद पर वेतन बैंड Pay Matrix Level: L-24 (PB 4 37400-67000 +Grade Pay 10000) में पदोन्नति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

श्री अशोक कुमार चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपनी मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप नगरीय विकास विभाग में पदस्थापन किये जाने तक आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति देंगे।

श्री अशोक कुमार चौधरी की पदोन्नति दिनांक 01.07.2019 को मुख्य अभियंता की रिक्ति के विरुद्ध की गई, अतः इन्हें वेतन परिलाभ कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से देय होगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञासे,



(कन्हैया लाल स्वामी)

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
3. शासन वरिष्ठ उप सचिव, नविवि को विभाग की साईड पर अपलोड हेतु।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
6. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास.....।
7. श्री अशोक कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता।
8. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।



(कैलाश चन्द्र कुमावत)

शासन सहायक सचिव-द्वितीय